सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़, 1937 (श०)

संख्या 470 राँची, बुधवार

1 जुलाई, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

18 जून, 2015

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची -1 तथा अनुसूची- 2 में कतिपय संशोधन।

संख्या-14/जा0नि0-03-07/2014 का॰- 5422 -- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि ‘‘गंधबनिया जाति को झारखण्ड के पिछडे वर्गो की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 में दर्ज बनिया के प्रकोष्ट में दर्ज उपजाति गंधबनिक के साथ ‘‘गंधबनिक/गंधबनिया‘‘ के रुप में समावेशित किया जाय,’’ के

आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय ।

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है:-

क्रमांक-20 :- बनिया (सूढी, हलवाई, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल/एराकी/राकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल/जैशवार, पटवा, कमलापुरी, वैश्ध, बनिया, माहुरी, वैश्य, अवध बनिया, बगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य (पोद्दार, कसोधन), गंधबनिक/गंधबनिया/ओमर/उमर वैश्य/वैश बनिया एवं एकादश बनिया, बनिया(बनवार)।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस0के0 शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 470—50 ।